International Journal of Research in Social Science
Vol. 12 Issue 06, June 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

राजस्थान महिला नीति 2021: समग्र महिला विकास का लक्ष्य

डॉ सुनीता पारीक, राजनीति विज्ञान विभाग,
एसोसिएट प्रोफेसर, अदिति कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रस्तावना

राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए नई राजस्थान महिला नीति को मंजूरी दी गई है। इस महिला नीति की चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान सरकार पिछले 20 सालों में लगातार राजस्थान में महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने हेतु समय-समय पर सरकारी नीतियों घोषणाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयासरत रही है, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान में महिलाओं की स्थिति में कोई भारी बदलाव जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता है इसीलिए सरकार के द्वारा दोबारा से राजस्थान में महिलाओं के समग्र विकास हेतु एक नई महिला नीति की घोषणा की गई है। इस घोषणा पत्र में दिए गए विभिन्न बिंदुओं जैसे प्रस्तावना, उद्देश्य,लक्ष्य को प्राप्ति के लिए घोषित किए गए कार्यक्रमों का विश्लेषण करके ही हम इस पूरी महिला नीति 2021 घोषणा पत्र को समझ सकते हैं।

मुख्य बिंदु: राजस्थान राज्य महिला नीति ,महिला समानता, सामाजिक राजनीतिक भागीदारी

2021 से पहले सन 2000 में राज्य की पहली राज्य महिला नीति तैयार की गई थी। वर्तमान नई नीति में संयुक्त राष्ट्र के तत्व विकास लक्ष्य 2030 को भी ध्यान में रखकर योजना को बनाया गया है। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 परिकल्पना में कहा गया है कि “एक लोकतांत्रिक समाज जिसमें राजस्थान की सभी महिलाएं और बालिकाएं अपनी स्वायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए उपलब्ध सेवाओं और अफसरों का समान और स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें”।[1]

इस परिकल्पना या विजन की प्राप्ति हेतु इस नीति दस्तावेज में उद्देश्य को स्पष्ट तौर पर बताया गया है।[2]

1- महिला गरिमा, स्वच्छता और मानव अधिकार को स्थापित करने हेतु राजस्थान में पुरुष और महिला समानता के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना और समाज में महिला हिंसा को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल करना।

2- राजस्थान में लड़कियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना

3- महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति हेतु महिलाओं के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, अवसरों और सुविधाओं को महिलाओं तक पहुंचाने का कार्यक्रम और नीतियां लागू करना।

4- सरकार की सभी सरकारी संस्थाओं और शासन प्रणाली में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने का लगातार प्रयास करना।

5- महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को बढ़ाने हेतु महिलाओं को रोजगार, स्वयं रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनके कौशल विकास करना ,उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, औद्योगिक क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ावा देना।

6- समाज में दलित पिछड़े आदिवासी तथा वंचित समूह की महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने हेतु विशेष योजनाओं और नीतियों का निर्माण करना।

7- समाज में महिला हिंसा को रोकने हेतु राज्य की कानून प्रणालियों तथा संस्थागत तंत्र को मजबूत करना।

8- 2021 नीति दस्तावेज को लागू करने हेतु राजस्थान सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों , पंचायती राज प्रणालियों की संस्थाएं, नागरिक संगठन तथा अन्य संस्थाओं में आपसी तालमेल के द्वारा इस नीति के लक्ष्य को हासिल करना।

9- राजस्थान सरकार के वार्षिक बजट में महिला बजट को लागू करना तथा उसमें समय-समय पर निगरानी करते हुए उससे संबंधित आंकड़ों को प्राप्त करना।

10- राजस्थान की महिलाओं और लड़कियों के समग्र विकास के लिए उन्नत तकनीकों, सोशल मीडिया तथा उच्च शिक्षा से संबंधित नई तकनीकों का उपयोग और प्रयोग करते हुए महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को हासिल करना।

नई महिला नीति को लागू करने के लिए विशेष प्रयास क्षेत्र

सरकार ने नई महिला नीति में उन सभी क्षेत्रों को चिन्हित और पहचान की है जिसमें राजस्थान की महिलाएं देश के अन्य भागों की महिलाओं से पिछड़ी हुई है।

1.**स्कूली शिक्षा में वृद्धि तथा स्कूल ड्रॉपआउट मे कमी के लिए प्रयास**:[3]

• राजस्थान की आंगनवाड़ी केंद्र बाल्यावस्था शिक्षा केंद्र को राजस्थान की प्राथमिक स्कूलों के साथ जोड़ना तथा लड़कियों का प्राथमिक स्कूलों में नामांकन को सुनिश्चित करना।

2. **उच्च तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी**

• गरीब और दुर्बल वर्ग की महिलाओं के लिए स्नातक तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, आवागमन के साधन और सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था तैयार करना।

• उच्च और तकनीकी शिक्षा को मजबूती देने के लिए बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति, बैंक लोन, हॉस्टल सुविधाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाना।

• समय-समय पर बालिकाओं को मार्गदर्शन देने के लिए कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था मजबूत करना।

3- **लड़कियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की वृद्धि करना**:[4]

शिक्षा संस्थानों में बालिकाओं, सामाजिक तौर पर पिछड़े लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य वित्तीय साक्षरता कानूनी जागरूकता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना,

कॉलेज और स्कूल के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक शिक्षा को शामिल करना करना तथा स्कूल और कॉलेज नहीं जाने वाली बालिकाओं के लिए इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने संबंधी ढांचा खड़ा करना।

राजस्थान के प्रत्येक कॉलेज और स्कूलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) जैसे कार्यक्रमों में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने के कार्यक्रम को लागू करना और बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे पक्षों पर विशेष तौर पर ध्यान देने संबंधी नीतियां बनाना।[5]

4- **बालिकाओं को खेलकूद नीति से जोड़ना**:

शैक्षणिक संस्थाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित करना तथा उसे महिला और बालिकाओं

की भागीदारी को बढ़ाना और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए खेलकूद की सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर तैयार करना।

लड़कियों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार का प्रावधान करना, उनको खेल से संबंधित कोचिंग संस्थानों को तैयार करना तथा खेल के द्वारा सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्रदान करना।

5- **लड़कियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना**

इस नीति कार्यक्रम को लागू करने के लिए समाज ,परिवार ,ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर संवेदनशील और जागरूक कार्यक्रम को तैयार करना जिससे लड़कियों की भागीदारी प्रत्येक स्तर पर सुरक्षित तरीके से बढ़ाई जा सके। शैक्षणिक संस्थाओं में नियमित रूप से जेंडर ऑडिट करना तथा समय-समय पर नीतियों का फीडबैक प्रत्येक स्तर पर प्राप्त करना।

लड़कियों को सुरक्षित माहौल देने हेतु भारत सरकार के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों को सरंक्षण देने हेतु POCSO 2012 कानून तैयार किया गया था। उस कानून की जानकारी सभी बच्चों तथा 18 साल से कम आयु के बच्चों को प्रदान करना कानून को लागू करने हेतु पुलिस तथा न्याय प्रणाली को जागरूक तथा उचित माहौल तैयार करना।[6]

आर्थिक सशक्तिकरण

बालिकाओं की आर्थिक क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार के द्वारा इस नीति दस्तावेज में विभिन्न प्रकार की योजनाओं तथा कार्यक्रम को तैयार किया गया है, जिससे राजस्थान की लड़कियों को आर्थिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर तथा राजस्थान के विकास में समान भागीदारी कर सके।

राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम के माध्यम से विशेष कौशल विकास केंद्र बनाने का कार्यक्रम तैयार करना जिसमें राजस्थान की लड़कियों को अपनी आजीविका और कौशल विकसित करना तथा अन्य स्वयं रोजगार के साधनों को तैयार करने हेतु नीतियों का निर्माण किया जा सके। राजस्थान में कुछ विशेष आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि ,खनन, निर्माण, मत्स्य पालन, पशुपालन डेयरी ,बागवानी संबंधित क्षेत्रों में महिला भागीदारी को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम तैयार करना तथा इन सब पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने हेतु प्रोत्साहन नीतियों का निर्माण करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उद्योग तथा व्यवसाय स्थापित करने हेतु ग्रामीण लड़कियों को प्रबंधक क्षेत्र की शिक्षा या मिनी एमबीए, व्यापार सखी जैसे कार्यक्रम तैयार करने हेतु नीतियां बनाना। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण करने हेतु स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना तथा इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह को आर्थिक और प्रशासनिक मदद देने हेतु एक प्रशासनिक तंत्र को विकसित और मजबूत करना।

स्वयं सहायता समूह को राज्य सरकार के विभाग ऋण देने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था पर विशेष प्राथमिकता देने का कार्य आरंभ करना तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रचार प्रसार ब्रांड निर्माण हेतु पैकेजिंग एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभागों के द्वारा मदद करने हेतु कार्रवाई करना।[7]

घरेलू कामगारों एवं अन्य गृह आधारित श्रमिकों के लिए उचित वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करने के लिए दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना।

विशेष फोकस समूह के लिए छात्रावास तथा किफायती आवासीय सुविधा, सुरक्षित कार्य वातावरण

तैयार करना।महिला सशक्तिकरण हेतु जारी योजनाओं और कार्यक्रम को नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना। महिला के आर्थिक सशक्तिकरण पर आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना।

मीडिया के द्वारा महिलाओं को घरेलू कार्य के लिए जिम्मेदार दिखाने वाले विज्ञापन, नाटक, टीवी प्रोग्राम आदि पर रोक लगाना एवं महिला और पुरुषों की सहभागिता जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी कानून

महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण कानून 2013 को प्रभावी तरीके से लागू करना, स्थानीय शिकायत समिति और आंतरिक शिकायत समिति का गठन तथा इस प्रकार की बनाई गई समितियों के कार्यों की नियमित निगरानी एवं रिपोर्टिंग करना।[8]

महिला श्रमिकों एवं प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना जिससे महिलाओं के साथ आर्थिक तौर में भेदभाव स्थानीय श्रमिक क्षेत्र में संभव नहीं हो सके।

महिलाओं और पुरुषों में समान कार्य का समान वेतन नियमों को सख्ती से लागू करना तथा प्रत्येक इंडस्ट्री और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर औद्योगिक इकाइयों की जांच पड़ताल तथा जेंडर ऑडिट नियम जैसे कार्यक्रमों को लागू करना।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

राजस्थान की महिलाओं का राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण लागू करने हेतु सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रमों को राजनीतिक दलों, सरकारों स्थानीय सरकारों के द्वारा समय समय पर लागू करना।

राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित तथा महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न आयोगों, वैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष ,निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि में महिला भागीदारी को बढ़ावा देना तथा महिला प्रतिनिधियों को इन संस्थाओं में नियुक्त करना तथा इस प्रकार के प्रयास करना कि महिलाओं के द्वारा इन राज्य सरकार की संस्था- आयोगों का नेतृत्व करने में सक्षम हो।[9]

प्रशासन और शासन संचालन में महिलाओं की भागीदारी

विधानसभा और स्थानीय निकायों और न्यायपालिका में सभी समुदाय की महिलाओं में समान प्रतिबंध को बढ़ावा देना।

नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतों में चुनी हुई महिला सदस्यों मे से नेतृत्व भूमिका, नीति निर्माण के कार्य तथा राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों में सशक्त भूमिका हेतु प्रोत्साहन देना, समय-समय पर महिला ग्राम प्रधानों, सरपंचों, नगर पालिका चेयरमैन मेयर आदि के उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत करना तथा समाज में उनके योगदान को सबके सामने रखना।

राजस्थान की महिलाओं को जागृत तथा उनके हौसले को बढ़ाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि अर्जित करने वाली लड़कियों बालिकाओं का प्रचार प्रसार करना तथा उनको रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करना, राजस्थान की लड़कियों को कैरियर परामर्श, कोचिंग, छात्रवृत्ति के माध्यम से उच्च सरकारी सेवाओं, न्यायपालिका तथा अधिकारी स्तर की नौकरियों के लिए तैयार करना तथा उन को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना।

बालिकाओं और महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण

राजस्थान की महिलाओं और लड़कियों की स्थिति समाज में हमेशा राजनीतिक ,सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ेपन की शिकार रही है, इन सब मानकों को सुधारने के लिए महिलाओं

का सामाजिक सशक्तिकरण सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि राजस्थान में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो उसका बड़ा कारण है कि समाज आज भी लड़कियों के साथ हर स्तर पर भेदभाव को जारी रखे हुए हैं इसीलिए सामाजिक सशक्तिकरण के लिए इस नीति दस्तावेज में विशेष तौर पर फोकस किया गया है और सामाजिक सशक्तिकरण हेतु बहुत से केंद्र बिंदु को तैयार किया गया है। बालिकाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर केंद्रीय चर्चा के लिए पंचायतों को महिला सभा के रूप में आयोजन करने के लिए तैयार करना, जेंडर संवेदनशील रिपोर्टिंग पर मीडिया के विभिन्न रूपों के साथ कार्य करते हुए मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही नकारात्मक रूढ़िवादी को चुनौती देते हुए महिलाओं की बढ़ रही सकारात्मक भूमिका को ज्यादा से ज्यादा मीडिया के माध्यम से प्रसारित तथा प्रचार प्रसार नीति पर कार्य करना।[10]

महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता को रोकने हेतु महिलाओं और लड़कियों के मुद्दे के प्रति राज्य सरकार की प्रत्येक संस्थाओं को जागरूक करना कथा समय-समय पर जेंडर संवेदनशील कार्यक्रमों को तैयार करना तथा संस्थाओं का जेंडर ऑडिट करना।

राजस्थान में चल रही महिला सशक्तिकरण विरोधी प्रथाओं और परंपराओं को रोकने हेतु कार्यक्रम

राजस्थान की महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा राजस्थान में चल रही महिला विरोधी समाजिक कुप्रथा का महत्वपूर्ण रोल है इसमें बाल विवाह ,लिंग चयन से संबंधित जांच करवाना , लड़कियों को शिक्षा में शामिल नहीं होने देना तथा लड़कियों को नौकरियों के लिए तैयार नहीं करना जैसी प्रथाएं राजस्थान की महिलाओं का सामाजिक विकास करने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है इस दस्तावेज में इन्हीं सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने तथा समाज को जागरूक करके इन कुप्रथाओ को खत्म करने के लिए जन जागरण अभियान में शामिल होने हेतु नीति दस्तावेज का प्रमुख उद्देश्य बनाया गया है।

दहेज प्रथा, महिला अपराध तथा हॉनर किलिंग जैसे अपराधों को भी समाप्त करने हेतु सख्त कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर करने की बात इस दस्तावेज में की गई है।

ढांचागत तैयारियां महिला नीति के संदर्भ में

केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उत्थान हेतु नीतिगत दस्तावेज बनाए जाते रहे लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि इस नीतिगत दस्तावेज को लागू करने हेतु एक मजबूत ढांचा और प्रशासनिक नियम बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से रहती है इसीलिए इस प्रकार के नीतिगत दस्तावेज समय-समय पर विफल होते रहे।

इसी संदर्भ में इस नीतिगत दस्तावेज में एक ऐसे ढांचे और प्रशासनिक नियमों को तैयार किया गया है जिससे इस नीति दस्तावेज को लागू करते हुए सरकारी स्तर पर किसी प्रकार की बाधा या दिशाहीनता का शिकार ना होना पड़े।

प्रमुख केंद्र बिंदु इस प्रकार हैं

इस नीति दस्तावेज को लागू करने के संबंध में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 निर्देशिका को तैयार किया जाएगा।

प्रत्येक सरकारी मंत्रालय और विभाग में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिसके द्वारा नीति दस्तावेज के साथ समय-समय पर समन्वय तथा लागू करने के संबंध में उत्पन्न चुनौतियों और लागू करने के संबंध में कार्यवाही की समीक्षा करता रहेगा।

सभी मंत्रालय अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी करेंगे।

जेंडर उत्तरदायी बजट(Gender Reponsive Budgeting -GRB) के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के विकास हेतु वित्तीय संसाधनों के आवंटन की निगरानी हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर तैयार किया जाएगा और इस प्रकार की जेंडर उत्तरदायी बजट नीति को अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बनेगा, इस बजट की निगरानी करने हेतु राजस्थान सरकार का महिला और बाल विकास विभाग सभी प्रकार के आंकड़ों को संकलित करने तथा उसको जारी करने की भूमिका को पूर्ण करेगा।[11]

जेंडर मॉनिटरिंग को समय-समय पर प्रत्येक सरकारी मंत्रालयों विभागों पर नियमित रूप से किया जाएगा।

जेंडर ऑडिट राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य सेवाओं से संबंधित संस्थाओं, कार्यालय और प्रतिष्ठानों में विशेष तौर पर किया जाएगा जिससे समय-समय पर महिलाओं के विकास हेतु लागू की गई योजनाओं की समीक्षा संभव हो पाएगी।

जेंडर एवं आयु आधारित आंकड़ों को एक प्लेटफार्म पर एकत्रित करना इस पूरी नीति दस्तावेज को लागू करने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा।

समाज की पिछड़ी, दलित, गरीब तथा अन्य आधारों पर भेदभाव से प्रभावित महिलाओं के संबंध में आंकड़ों को विशेष तौर पर एकत्रित तथा जारी किया जाएगा जिससे यह पता लगाया जाए कि किस वर्ग की महिलाओं के संबंध में विशेष नीतियों को बनाने की आवश्यकता है।

महिला संबंधी शोध को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं, विश्वविद्यालय कॉलेज तथा रिसर्च संस्थानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

पब्लिक, प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से भी महिलाओं के उत्थान और विकास हेतु निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका और मौका दिया जाएगा।

पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर विशेष कार्य योजनाओं को तैयार किया जाएगा।

मीडिया के साथ महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर महिला जन जागरण अभियान तथा महिलाओं के संबंध में नकारात्मक विचारधारा को समाप्त करने हेतु मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका और साझेदारी सुनिश्चित की जाएगी

नागरिक समाज संगठनों या सिविल सोसायटी को महिला विकास हेतु महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तथा भागीदारी प्रदान की जाएगी और नागरिक समाज संगठनों को प्रमुख तौर पर सरकार के साथ आगे लाया जाएगा, प्रत्येक कार्यक्रम को सुचारु रुप से चलाने हेतु सिविल सोसाइटी संगठनों तथा उनके अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

राजस्थान में महिलाओं की स्थिति और चुनौतियां

राजनीतिक भागीदारी

राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में आंकड़ों को देखें तो, समझा जा सकता है कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति राजनीतिक तौर पर काफी पिछड़ी हुई है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 200 विधायकों में से मात्र 27 महिला विधायक वर्तमान में चुनी गई है। प्रतिशत के संदर्भ में समझे तो यह मात्र 13% विधानसभा में दिखाई दे रहा है।[12] 2018 अशोक गहलोत सरकार के पहले 3 साल में मात्र एक महिला को कैबिनेट में स्थान मिला हुआ था लेकिन

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दखल के बाद तीन महिलाओं को गहलोत कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, लेकिन सकारात्मक तौर पर देखें तो राजस्थान ने सबसे उत्तम पद मुख्यमंत्री के तौर पर 2003 में वसुंधरा राजे पहली बार महिला मुख्यमंत्री के तौर पर चुनी गई थी और पहली विधानसभा स्पीकर के तौर पर सुमित्रा सिंह ने कार्य किया है।

राजस्थान के 10 राज्यसभा सदस्यों में से वर्तमान एक भी महिला प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। 2019 लोकसभा में राजस्थान से 25 लोकसभा सदस्य में से 3 महिलाओं को स्थान मिला हुआ है।[13] इस प्रकार हम देख सकते हैं यदि राजस्थान में सफलतापूर्वक इस महिला नीति 2021 को लागू करना है तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को राजनीतिक पदों पर 20-30% तक बढ़ाना होगा, इसमें विधानसभा, लोकसभा ,राज्यसभा, कैबिनेट, आयोगों तथा अन्य संविधानिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रतिशत के तौर पर बढ़ोतरी करने से ही इस नीति को सफलता पर लागू किया जा सकता है। यही सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में राजस्थान में राजनीतिक तौर पर दिखाई दे रही है।

शैक्षणिक भागीदारी

महिला साक्षरता में राजस्थान की स्थिति देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी खराब है. यहां साक्षरता का लैंगिक अंतर 23.2 प्रतिशत है. वर्ष 2017 और 2018 के दौरान पुरुष साक्षरता दर 80.08% है, महिलाओं में यह आंकड़ा महज 57.6% दर्ज किया गया है।[14]

शिक्षा के आंकड़े के संदर्भ में राजस्थान सबसे अधिक लैंगिक असमानता वाले राज्यों में गिना जाता है राजस्थान के 2 जिलों जालौर और सिरोही की हालत महिला शिक्षा के संदर्भ में इतनी खराब है वहां शिक्षा का स्तर 40% से भी कम है।[15]

महिला नीति 2021 की सफलता के लिए महिला साक्षरता की दर को किस प्रकार से पुरुषों के बराबर लाया जाए तथा महिला साक्षरता दर चुनौती को पूरा करने के बाद ही राजस्थान में महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

महिलाओं के प्रति अपराध

राजस्थान महिला अपराध के संबंध में अन्य राज्यों से बहुत खराब स्थिति में है इस संबंध में राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो के आंकड़े तथा राजस्थान पुलिस के आंकड़ों को देखकर इस स्थिति को समझा जा सकता है।

यह बयान और खबर जागरण न्यूज़ पेपर में प्रकाशित हुआ। इसी के खबर से आप अंदाजा लगा सकते कि राजस्थान में महिलाओं की अपराध की स्थिति किस प्रकार से है खबर में कहा गया है कि

"वैसे तो देश के कई राज्यों में महिलाओं के लिए स्थितियां बुरी हैं, लेकिन राजस्थान में उनकी स्थिति बद से भी बदतर है। यह कोई सियासी बयान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों का सार है"।[16]

खबर में आंकड़ों मैं कहा गया है कि "राजस्थान को महिलाओं और बच्चियों के लिए सर्वाधिक असुरक्षित माना गया है। वर्ष 2020 में देश में दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। राज्य में 1,279 नाबालिगों का दुष्कर्म का शिकार होना स्थिति की भयावहता को दर्शाता है। दुष्कर्म के आंकड़ों को समग्रता में देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि प्रदेश में बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में दुष्कर्म के मामलों में यहां 25.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है"।[17]

इस पूरी खबर के विश्लेषण से ही सरकार के द्वारा घोषित की गई महिला नीति 2021 के समक्ष

सबसे बड़ी चुनौती इस समय यही है कि किस प्रकार से राजस्थान में महिला अपराध को कम किया जाए, महिला अपराध को कम करने से ही राजस्थान में महिलाओं के साथ सामाजिक ,आर्थिक ,राजनीतिक व अन्य प्रकार से न्याय किए जा सकते हैं

महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां

वर्तमान में राजस्थान की महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में समय-समय पर मीडिया रिपोर्ट, व्यक्तिगत विश्लेषण और विशेषज्ञों के द्वारा किए गए अध्ययन से इस बात को समझा जा सकता है कि आज भी राजस्थान की महिलाओं के साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवा के संदर्भ में भारी असमानताएं और भेदभाव और कमियों का सामना दिन प्रतिदिन करना पड़ता है।

2021 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पास्कलीन ड्यूपास विकास अर्थशास्त्री और राधिका जैन एशिया हेल्थ पॉलिसी पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलो के द्वारा राजस्थान के महिलाओं के साथ स्वास्थ्य संबंधी भेदभाव अन्य योजनाओं का अध्ययन किया गया तथा उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा कि "राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत सब्सिडी-प्राप्त अस्पताल देखभाल के उपयोग में बड़ी मात्रा में लैंगिक असमानता मौजूद है। " तथा भेदभाव के कारणों के संदर्भ में कहा कि

"ऐसा प्रतीत होता है कि ये असमानताएं परिवारों द्वारा स्वास्थ्य संसाधनों को पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आवंटित करने की कम इच्छा के कारण हैं"।[18]

राजस्थान की महिलाओं के संबंध में की गई इस प्रकार के अध्ययन तथा अन्य सामाजिक समस्याओं के कारण राजस्थान की महिलाओं का स्वास्थ्य के संबंध में इस नीति दस्तावेज में दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाजिक समस्याओं के समाधान को भी फोकस करना होगा।

निष्कर्ष

सरकार के द्वारा घोषित राजस्थान महिला नीति के संदर्भ में वर्तमान राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री इस को प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने यह कहा कि "राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 अप्रैल 2021 को कहा कि नई राज्य महिला नीति-2021 इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध भाव से काम कर रही है। उन्हें हर क्षेत्र में समान दर्जा दिलाने के लिए हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रही है"।[19]

सरकार जिस प्रकार की महिला नीति के संदर्भ में एक स्पष्ट बातचीत कर रही है यदि उसको लागू करने के संदर्भ में स्पष्ट नीति तथा उत्साह का प्रदर्शन किया तो यह नीति राजस्थान की महिलाओं के लिए विकास की नई गाथा लिख सकती है लेकिन भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य का अभी तक का जो अनुभव और मूल्यांकन इस प्रकार के नीति दस्तावेजों का किया गया है उसमें जांचकर्ताओं विश्लेषकों के द्वारा देखा गया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति इस प्रकार के दस्तावेज को लागू करने के लिए कुछ समय तक तो दिखाई जाती है लेकिन लंबे समय तक प्रशासन व सरकार के सभी विभाग इस प्रकार के नीति दस्तावेज को लागू करने के संबंध में धीरे-धीरे धीमे पड़ जाते हैं और समय के साथ यह नीति दस्तावेज भी एक रस्म अदायगी के तौर पर दिखाई देने लग जाता है।

राजस्थान की महिलाओं के विकास के संबंध में जिस प्रकार की चुनौतियां उसके समक्ष खड़ी है। उन चुनौतियों को गंभीरता से समाधान करने के लिए सरकार को समाज की सोच और उसकी कार्य प्रणाली में भी बदलाव करने के संदर्भ में एक जन जागृति अभियान को चलाना होगा जिससे सरकार

की नीति दस्तावेज तथा स्पष्ट प्रशासनिक सोच का प्रदर्शन किया जा सके इस प्रकार के जन जागृति अभियान के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन को लागू किया जा सकता है। सरकार इस प्रकार के जनजागृति अभियान को राजनीतिक स्तर पर यदि ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगी तो इस प्रकार का नीति दस्तावेज सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है अब यह सरकार के आने वाले बजट और प्रशासनिक कदमों पर नजर रखने से पता चलेगा कि सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया है और बजट को लागू करने के लिए सरकार ने किस-किस प्रकार के कदमों को उठाया है।

संदर्भ सूची

1. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021, page-4
2. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-4
3. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-12
4. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-13
5. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-13
6. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-15
7. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-17
8. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-19
9. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-19
10. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-21
11. Rajasthan.gov.in / राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 Page-31
12. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के दावों में नहीं दम, पत्रिका 8 मार्च 2022 https://www.patrika.com/jaipur-news/only-13-percent-women-s-participation-in-rajasthan-assembly-7386578/
13. ibid
14. NSO report January 2021 , राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण वर्ष 2017-18, महिला साक्षरता दर: राजस्थान देश में सबसे फिसड्डी, एनएसओ की रिपोर्ट में खुलासा, जाने हकीकत न्यूज़ 18 हिंदी, अपडेटेड 9 सितंबर 2021
15. ibid
16. राजस्थान महिलाओं और बच्चियों के लिए सर्वाधिक असुरक्षित, दुष्कर्म के मामले में 25 फीसद बढ़े, जागरण,17 सितंबर 2021 https://www.jagran.com/news/national-rajasthan-most-unsafe-for-women-and-girls-jagran-special-22028578.html

17. ibid
18. Pascaline Dupas,Radhika Jain, महिलाओं को पीछे छोड़ दिया सरकारी स्वास्थ्य बीमा उपयोग में लैंगिक असमानताएं, Ideas for India updated ,23 April 2021
https://www.ideasforindia.in/topics/human-development/women-left-behind-gender-disparities-in-utilisation-of-government-health-insurance-hindi.html
19. महिला सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी नई महिला नीति :गहलोत, नवभारत टाइम्स,11अप्रैल 2021
http://nbt.in/rOmrqZ?utm_source=whatsapp&utm_campaign=nbtmobile&utm_medium=referral